प्रकरण संख्या 2/2019 नाहरसिंह व अन्य बनाम श्याम दुबे व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम असोलियों की मादड़ी में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' व ''द'' की भूमियां स्थित हैं, जो उक्त परिशिष्टों में अंकित खातेदारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' की भूमियां प्रार्थीगण के खातेदारी की होकर उसमें आवागमन हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की परिशिष्ट ''स'' में अंकित आराजी नंबर 144 से उत्तरी दिशा में बना हुआ है, जो प्रार्थीगण की खाते की आराजी नंबर 153 तक पहुंचता है। आराजी नंबर 153 की किस्म रास्ता होकर विपक्षी संख्या 2 की खाते की आराजी नंबर 152 की उत्तरी दिशा की भूमि पर स्थित 30 फिट रास्ते से प्रार्थी संख्या 1 अपनी खाते की भूमि में आते–जाते हैं, किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 3 उक्त परिशिष्ट ''स'' व ''द'' में वर्णित रास्ते से हम प्रार्थीगण को आवागमन से रोक रहे हैं तथा पत्थर की कोट बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' में अंकित आराजियात तक पहुंचने के लिए परिशिष्ट ''स'' व ''द'' में अकित भूमि से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व नक्शे में अमल दरामद किया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 ने जो अनाधिकृत अतिक्रमण कर पत्थर की कोट बना दी है उसे हटाया जाकर रास्ता पूर्ववत चालू कराया जावे। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 03.01.2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह	

अपील दिनांक 11.02.2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री हुकुमसिंह देवड़ा उपस्थित हुए। पक्षकारान की ओर से दिनांक 18.11.2019 को राजीनाम प्रस्तुत किया गया, जिसपर पक्षकारों की बहस सुनी गयी।

हमने उक्त राजीनामें का अवलोकन किया व उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने उक्त राजीनामें में कथन किया है कि जो अनुतोष वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्टगण के विरूद्ध चाहा था वह उसे अन्यत्र किसी खातेदार से प्राप्त हो गया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का अनुतोष वह प्राप्त करना नहीं चाहता है न ही अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का उपयोग व पालना करवायेगा। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालनार्थ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जो राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करायी है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। उक्त राजीनामें में सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं, तद्नुसार हम पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर अपील का निस्तारण करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.01.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें में जो अनुतोष चाहा गया है, उसके आधार पर पक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 2/2019 नाहरसिंह व अन्य बनाम श्याम दुबे व अन्य

प्रकरण संख्या 2/2019 नाहरसिंह व अन्य बनाम श्याम दुबे व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 14:45:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: